फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर)

ओमप्रकाश वगैरह बनाम मांगू वगै०

मुकदमा नम्बर 35/6/2019 धा13

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
		पत्रावली पेश हुये। जो आदेश पत्रावली किया गया। साथ ही अंकित बकाया वादी गण अधिवक्ता प्रतिवादी के न्यायिक दृष्टान्त एवं उत्तराधिकारी पेश करने हेतु समय चाहा गया। समय दिया जाकर पत्रावली वास्ते पेश करने न्यायिक दृष्टान्त एवं उत्तराधिकारी आदि/ साक्ष्य हेतु दिनांक 31/10/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं, जयपुर	
	31/10/25	प.क. अन्य अवसर पर गौर किया गया। पत्रावली काफी पुरानी है। लेकिन कोई उत्तराधिकारी एवं न्यायिक दृष्टान्त पेश नहीं किये गये है। जिनको अवसर बन्द किया जाता है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली रिकॉर्ड्स व पटवार काश्तकार वादीगण व उ होने के वादीगण का अंकित डिक्री स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखवा किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा गया। जाकर अंकित पत्रावली किया गया। प्रकरण डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली प्रकरण का हो। दुरुस्त होकर उप नम्बर के दर्ज हो तथा आदेश दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं, जयपुर	

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक/मु0)चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–351/06/2019

उनवान

1. भैरूराम (मृतक दौराने मुकदमा)
   1/1. राधेश्याम पुत्र स्व0 भैरूराम (मृतक दौराने मुकदमा)
   1/1/1. बनवारी लाल पुत्र स्व0 श्री राधेश्याम,
   1/1/2. सन्तोष कुमार पुत्र स्व0 श्री राधेश्याम,
   1/1/3.रामस्वरूप पुत्र स्व0 श्री राधेश्याम,
   1/1/4. रमेशचन्द पुत्र स्व0 श्री राधेश्याम,
   समस्त जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासीयान ग्राम समरपुरा, बासां, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
   1/2. जयनारायण पुत्र स्व0 भैरूराम,
   1/3. जगदीश प्रसाद पुत्र स्व0 भैरूराम,
   समस्त जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासीयान ग्राम (बासां) कुशलपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

1/4. श्रीमती भंवरी पत्नी कन्हैया लाल (मृतक दौराने मुकदमा)
1/4/1. श्रवण पुत्र स्व0 भंवरी, (मृतक दौराने मुकदमा)
1/4/1/1. प्रहलाद पुत्र स्व0 श्रवण,
1/4/1/2. कैलाश पुत्र स्व0 श्रवण,
1/4/1/3. प्रहलाद पुत्र स्व0 श्रवण,
1/4/1/4. श्रीमती नाथी देवी पत्नी स्व0 श्रवण,
1/4/1/5. श्रीमती अनोखी देवी पुत्री स्व0 श्रवण,
समस्त जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासीयान ग्राम समरपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
1/4/2. हनुमान पुत्र स्व0 भंवरी,
1/4/3. गिरधारी पुत्र स्व0 भंवरी,
1/4/4. मुरारी पुत्र स्व0 भंवरी,
समस्त जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासीयान ग्राम समरपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
1/4/5. प्रेम देवी पुत्री पुत्र स्व0 भंवरी, पत्नी किशोर, जति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम डिगाडिया, तहसील गाजी, जिला अलवर,
1/4/6. रूकमा देवी पुत्री पुत्र स्व0 भंवरी, पत्नी सुरजमल, जति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम (बासां) कुशलपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
1/4/7. हंसा देवी पुत्री पुत्र स्व0 भंवरी, पत्नी बाबू लाल, जति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम सुलतानपुरा बासां, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
1/4/8. कोशल्या देवी पुत्री पुत्र स्व0 भंवरी, पत्नी स्व0 गोपाल, जति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम समरपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूं,जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

1/4/9. शंकर लाल पुत्र स्व0 गोपाल जति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम विजयसिहंपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
1/4/10. सन्तोष देवी पुत्र स्व0 गोपाल पत्नी अर्जुन लाल, जति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम विजयसिहंपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
1/4/11. काली देवी पुत्री स्व0 गोपाल पत्नी कैलाश, जति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम बिलौची, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
1/4/12. बल्ला देवी पुत्र स्व0 गोपाल पत्नी गिर्राज, जति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम पालतवास, तहसील आंधी, जिला जयपुर।
1/5. श्रीमती प्रभाती देवी पत्नी रेवडराम, (मृतक दौराने मुकदमा)
1/5/1. रामलाल पुत्र स्व0 प्रभाती देवी (ना औलाद मृतक दौराने मुकदमा नाम हजफ)
1/5/2. नरसींग लाल पुत्र स्व0 प्रभाती देवी,
1/5/3. प्रभू पुत्र स्व0 प्रभाती देवी,
1/5/4. किशोरी देवी पुत्री स्व0 प्रभाती देवी,
1/5/5. छोटी देवी पुत्री स्व0 प्रभाती देवी,
1/5/6. हंसा देवी पुत्री स्व0 प्रभाती देवी,
1/5/7. सुरेश पुत्र स्व0 कमली देवी,
1/5/8. गोरी लाल पुत्र स्व0 कमली देवी,
1/5/9. सुमन देवी पुत्री स्व0 कमली देवी,
समस्त जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासीयान ग्राम कांट सांगावाला, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
1/6. श्रीमती शान्ति देवी पत्नी जगदीश प्रसाद, निवासी ग्राम प्रेमनगर बूरथल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

–वादीगण–

बनाम

1. मांगू पुत्र कैशा,
2. गुल्ला पुत्र कुशला,
3. बोदू पुत्र भूरा,
समस्त जाति जाट, निवासी ढाणी भल्डों की तन ग्राम समरपुरा, हाल तहसील चौमूँ, जिला जयपुर, पोस्ट बांसा कुशलपुरा, वाया सामोद जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद–पत्र बेदखली, घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0:–84/136/2009

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण एवं प्रतिवादीमिनजामिन मुददई रूबरू श्रीमती कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 227 रकबा 7 बीघा 19 बिस्बा जिसके हाल खसरा नम्बर 601 रकबा 1.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 606 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 608 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 609 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 610 रकबा 0.12

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूँ जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

...यर, खसरा नम्बर 611 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 612 रकबा 0.02 हैक्टेयर, ... नम्बर 628 / 1152 रकबा 0.02 हैक्टेयर, कुल किता 08 का कुल रकबा 2.01 हैक्टेयर भूमि ग्राम समरपुरा, तहसील चौमूँ जिला जयपुर, का खातेदार वादी की खातेदारी भूमि में अनाधिकृत रूप प्रतिवादीगण के द्वारा किये गये कब्जे / अतिक्रमण से बेदखल किया जाकर वास्तविक कब्जा वादी को सम्भलाया जावे तदोपरान्त प्रतियादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि वादी की खातेदारी भूमि व वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करे एवं उपयोग–उपभोग में बाधा कारित नही करे तथा वादी के वाद में मद नम्बर 3 व 4 व 7 में उल्लेखित लिखावट को प्रभावहीन माना जाकर शुन्य घोषित किया जाता है साथ ही विवादित भूमि में तहसीलदार चौमूँ के द्वारा रिसीवर नियुक्त होने पर प्रतिवर्ष छोडी गई निलामी राशि जो राजकोश में जमा है उक्त राशि नियमानुसार दैय हो तो वादीगण को दिलवाई जावे। तदनुसार निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार चौमूँ को लिखा जावे। डिक्री पर्चा जारी हो। निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 31.10.2025 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत .... (हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
ओहदा...चौमूँ जयपुर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	2	1. स्टाम्प अर्जी दावा	2
2. स्टाम्प वकालतनामा	1	2. स्टाम्प वकालतनामा	
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6.बाबत इजराय हुक्मनामा	
7.बाबत इजराय हुक्मनामा		7.मुतफरिक	
8.मुतफरिक			
जोड़	3	जोड़	2

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
चौमूँ जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक/मु0) चौमूँ, जिला–जयपुर
पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–351/06/2019

उनवान

1. भैरूराम (मृतक दौराने मुकदमा)
1/1. राधेश्याम पुत्र स्व0 भैरूराम (मृतक दौराने मुकदमा)
1/1/1. बनवारी लाल पुत्र स्व0 श्री राधेश्याम,
1/1/2. सन्तोष कुमार पुत्र स्व0 श्री राधेश्याम,
1/1/3.रामस्वरूप पुत्र स्व0 श्री राधेश्याम,
1/1/4. रमेशचन्द पुत्र स्व0 श्री राधेश्याम,
समस्त जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासीयान ग्राम समरपुरा, बासां, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
1/2. जयनारायण पुत्र स्व0 भैरूराम,
1/3. जगदीश प्रसाद पुत्र स्व0 भैरूराम,
समस्त जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासीयान ग्राम (बासां) कुशलपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

1/4. श्रीमती भंवरी पत्नी कन्हैया लाल (मृतक दौराने मुकदमा)
1/4/1. श्रवण पुत्र स्व0 भंवरी, (मृतक दौराने मुकदमा)
1/4/1/1. प्रहलाद पुत्र स्व0 श्रवण,
1/4/1/2. कैलाश पुत्र स्व0 श्रवण,
1/4/1/3. प्रहलाद पुत्र स्व0 श्रवण,
1/4/1/4. श्रीमती नाथी देवी पत्नी स्व0 श्रवण,
1/4/1/5. श्रीमती अनोखी देवी पुत्री स्व0 श्रवण,
समस्त जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासीयान ग्राम समरपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
1/4/2. हनुमान पुत्र स्व0 भंवरी,
1/4/3. गिरधारी पुत्र स्व0 भंवरी,
1/4/4. मुरारी पुत्र स्व0 भंवरी,
समस्त जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासीयान ग्राम समरपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
1/4/5. प्रेम देवी पुत्री पुत्र स्व0 भंवरी, पत्नी किशोर, जति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम डिगाडिया, तहसील गाजी, जिला अलवर,
1/4/6. रूकमा देवी पुत्री पुत्र स्व0 भंवरी, पत्नी सुरजमल, जति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम (बासां) कुशलपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
1/4/7. हंसा देवी पुत्री पुत्र स्व0 भंवरी, पत्नी बाबू लाल, जति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम सुलतानपुरा बासां, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
1/4/8. कोशल्या देवी पुत्री पुत्र स्व0 भंवरी, पत्नी स्व0 गोपाल, जति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम समरपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
1/4/9. शंकर लाल पुत्र स्व0 गोपाल जति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम विजयसिहंपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
1/4/10. सन्तोष देवी पुत्र स्व0 गोपाल पत्नी अर्जुन लाल, जति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम विजयसिहंपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

सहायक कलक्टर
चौमूँ, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

1/4/11. काली देवी पुत्री स्व0 गोपाल पत्नी कैलाश, जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम बिलौची, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
1/4/12. बल्ला देवी पुत्र स्व0 गोपाल पत्नी गिर्राज, जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम पालतवास, तहसील आंधी, जिला जयपुर।
1/5. श्रीमती प्रभाती देवी पत्नी रेवडराम, (मृतक दौराने मुकदमा)
1/5/1. रामलाल पुत्र स्व0 प्रभाती देवी (ना औलाद मृतक दौराने मुकदमा नाम हजफ)
1/5/2. नरसींग लाल पुत्र स्व0 प्रभाती देवी,
1/5/3. प्रभू पुत्र स्व0 प्रभाती देवी,
1/5/4. किशोरी देवी पुत्री स्व0 प्रभाती देवी,
1/5/5. छोटी देवी पुत्री स्व0 प्रभाती देवी,
1/5/6. हंसा देवी पुत्री स्व0 प्रभाती देवी,
1/5/7. सुरेश पुत्र स्व0 कमली देवी,
1/5/8. गोरी लाल पुत्र स्व0 कमली देवी,
1/5/9. सुमन देवी पुत्री स्व0 कमली देवी,
समस्त जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासीयान ग्राम कांट सांगावाला, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
1/6. श्रीमती शान्ति देवी पत्नी जगदीश प्रसाद, निवासी ग्राम प्रेमनगर बूरथल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

–वादीगण–

बनाम

1. मांगू पुत्र कैशा,
2. गुल्ला पुत्र कुशला,
3. बोदू पुत्र भूरा,
समस्त जाति जाट, निवासी ढाणी भल्डों की तन ग्राम समरपुरा, हाल तहसील चौमूँ, जिला जयपुर, पोस्ट बांसा कुशलपुरा, वाया सामोद जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद–पत्र बेदखली, घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0:–351/06/2019

निर्णय

दिनांक :–31.10.2025

वादी द्वारा वाद पत्र बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया गया है कि वादी स्व0 भैरूराम को दिनांक 07.08.65 को भू आवंटन सलाहकार समिति ने आराजी खसरा नम्बर 227 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 601 रकबा 1.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 606 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 608 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 609 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 610 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 611 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 612 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 628/1152 रकबा 0.02 हैक्टेयर, कुल किता 08 का कुल रकबा 2.01 हैक्टेयर भूमि ग्राम समरपुरा, तहसील चौमूँ जिला जयपुर, आवटित की है। जिसकी किस्म बजड अब्बल ओर लगानी 7.55 रूपये है। भूमि का वास्तविक कब्जा नियमानुसार स्व0 भैरूराम वादी को आंवटन के समय मौके पर दे दिया गया है, तब से स्व0 भैरूराम वादी उक्त भूमि पर वास्तविक रूप से काबिज होकर काश्त करता ओर लगान राज्य सरकार को अदा करता आया है। इसके पश्चात् स्व0 भैरूराम वादी

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूँ, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

न 1978 में उक्त भूमि के गैर खातेदारी से नियमानुसार खातेदारी अधिकारी प्रदान करते ... भैरूराम वादी के हक में नामान्तकरण सख्या 92 दिनांक 02.12.78 स्वीकार किया जा चुका है। स्व0 भैरूराम वादी की उक्त भूमि में न तो कोई सिंचाई का साधन था, और ना ही स्व0 भैरूराम वादी नया कुआं बनाने की स्थिति में था, जबकि पडोसी काश्तकारान प्रतिवादीगण की भूमि में चालू पक्का एक कुआं पास में स्थित था। प्रतिवादीगण ने स्वर्गीय भैरूराम वादी को कार्तिक सम्वत् 2027 में कहा कि वे अपने उक्त कुप में बिजली की मोटर लगा रहे है ओर यदि स्व0 भैरूराम वादी भी उक्त कुए में लगाई जाने वाली मोटर से सिंचाई के लिए पानी लेना चाहे तो स्वर्गीय भैरूराम वादी प्रतिवादीगण के हक में आधे खर्चे की एक लिखावट निष्पादित कर देवे। जिस प्रतिवादीगण के प्रस्ताव पर स्व0 भैरूराम वादी उसी समय सहमत हो गया। स्व0 भैरूराम वादी और प्रतिवादीगण दोनो ही लिखना पढना नही जानते है। स्व0 भैरूराम वादी केवल हिन्दी में अपने हस्ताक्षर करना ही जानता है। स्व0 भैरूराम वादी एवं प्रतिवादीगण में मध्य विद्यमान मधुर सम्बन्धों, आपसी विश्वास एवं लिखने वाले के उपलब्ध न होने से स्व0 भैरूराम वादी ने एक खाली कागज पर अपने हस्ताक्षर करके उक्त आधे खर्चे की लिखावट किसी पढे लिखे व्यक्ति से उस कागज पर करा लेने हेतु प्रतिवादीगण को उक्त समय ही दे दिया है। इसके पश्चात् कई माह तक प्रतिवादीगण ने उक्त कुए में बिजली की मोटर नही लगाई तो स्व0 भैरूराम वादी ने अपने हस्ताक्षर का उक्त खाली कागज वापस प्रतिवादीगण से मांगा तो प्रतिवादीगण ने पहले तो ढूंढ कर लौटाने का आश्वासन दिया, लेकिन उनके दिल में बेईमानी आने के बाद में अपने द्वारा फाड कर फैंक देना स्व0 भैरूराम वादी को बताया। जिससे स्व0 भैरूराम वादी को सन्तौष हो गया ओर उसने कोई कार्यवाही इस विषय मे नहीं की है। उक्त घटना के पश्चात् प्रतिवादीगण ने माह आसाढ सम्वत् 2036 में खसरा नम्बर 227 रकबा 07 बीघा 19 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 601, 606, 608, 609, 610, 611, 612, 628/1152 कुल किता 08 का कुल रकबा 2.01 हैक्टर, ग्राम समरपुरा तहसील चौमूं के पूर्व की ओर की 2 बीघा 3 बिस्वा हाल रकबा 0.79 हैक्टेयर भूमि पर लकडी की ताकत पर अनाधिकृत जबरन कब्जा कर बाजरा ग्वार, तिल आदि काश्त कर लिया है। इसके पश्चात् उसी वर्ष कार्तिक में उक्त भूमि के दक्षिणी सीवा जोड एक बीघा भूमि पर प्रतिवादीगण ने पुनः जबरन अनाधिकृत कब्जा कर लिया है। इस प्रकार प्रतिवादीगण ने स्व0 भैरूराम वादी की कब्जे व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 227 की 3 बीघा 3 बिस्वा सानि हाल खसरा नम्बर 601, 606, 608, 610, 611, 612, 628/1152 की रकबा 0.79 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण कर अनाधिकृत कब्जा कर लिया है। जिससे प्रतिवादीगण को वादीगण बेदखल करा कर वास्तविक कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। आसाढ सम्वत् 2036 में उक्त अतिक्रमण 2 बीघा 3 बिस्वा पर प्रतिवादीगण द्वारा करने पर स्व0 भैरूराम वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रथम राजस्व वाद संख्या 5 सन् 1980 अनुवानी भैरूराम बनाम मांगू वगैराह अन्तर्गत धारा 92, 188 रा.टि.ऐैक्ट दिनांक 22.01.80 को न्यायालय एस.डी.ओ.आमेर मु0 जयपुर के समक्ष पैश किया जिसके श्रीमान के समक्ष पेन्डिंग रहने के दौरान ही प्रतिवादीगण ने उक्त खसरा नम्बर 277 के सीमा जोड दक्षिणी 1 बीघा भूमि ने उक्त खसरा नम्बर 227 हाल खसरा नम्बर 601, 606, 608, 610, 611, 612, 628/1152 के सीमा जोड दक्षिणी 1 बीघा भूमि पर ओर अतिक्रमण कर लिया, तब स्व0 भैरूराम वादी ने द्वितीय राजस्व वाद संख्या 54 सन् 1980 अनुवानी भैरूराम बनाम मांगू वगैराह दिनांक 27.06.80 को श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया । जिनमें से प्रथम राजस्व वादी सख्या 5 सन् 1980 को दिनांक 23.02.81 को ओर द्वितीय राजस्व वाद संख्या 54 सन् 1980 को दिनांक 13.04.81 को पुनः नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ आदेशानुसार विड्रा कर प्रस्तुत वाद प्रस्तुत किया है। उक्त मु0 संख्या 5/1980 की कोस्ट अभिभाषक प्रतिवादीगण को अदा की है और मु0 संख्या 54 सन् 1980 की कोस्ट अभिभाषक प्रतिवादीगण के न लेने पर कोर्ट में कल जमा कराने के बाद दावा वादी

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
चौमूं, जयपुर

किया है। प्रस्तुत दावे के मद नम्बर 6 में वर्णित राजस्व वाद संख्या 54 सन् 1980 में प्रतिवादीगण ने दिनांक 17.01.81 को जवाब दावा पेश किया। जिसके अवलोकन से दिनांक 17.01.81 को सर्व प्रथम स्व0 भैरूराम वादी को पता चला कि स्व0 भैरूराम वादी के प्रस्तुत दावे के मद नम्बर 3 व 4 में वर्णित उक्त हस्ताक्षरित खाली कागज पर उक्त आराजी खसरा नम्बर 227 हाल खसरा नम्बर 601, 606, 608, 610, 611, 612, 628/1152 को प्रतिवादीगण के हक में स्व0 भैरूराम वादी द्वारा ट्रांसफर कर देने की मगरार सुद्धि 11 सम्वत् 2029 की मिति में फर्जी लिखावट तैयार की गई है, जो बिना वैद्य प्रतिफल बिना स्टाम्प, बिना अटेस्टेशन, मद नं0 3 व 4 में वर्णित धोखे से हस्ताक्षर वादी प्राप्त करने, उस दिन स्व0 भैरूराम वादी ट्रांसफर का अधिकारी न होने के अतिरिक्त वैध अनुबन्ध की अन्य शर्तो का पालन न किये जाने से वादी के अधिकारो के लिए यह लिखावट प्रभावहीन है और वादी ऐसी घोषणा कराने का कानूनन अधिकारी है। वादी भैरूराम को दिनांक 17.04.1981 को प्रतिवादीगण ने ऐलानियां तौर पर धमकी दी है कि वे उसको उसकी भूमि में काश्त नहीं करने देंगे तथा अन्य भूमि पर भी अतिकमण करके रहेगे। उसको दीगर व्यक्तियो को बैचान करके रहेंगे। इसके पश्चात् हर समय वादी को उनके विरूद्ध वाद कारण उत्पन्न हो रहा है।

वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि वाद वादी नियमानुसार 3 रूपये की कोर्ट फीस पर धारा 88, 91, 92ए, 183, 188 राज.टी.ऐक्ट में अन्दर अवधी प्रस्तत है। वादी का वाद बहक वादीगण डिक्री फरमाया जाकर वादी खसरा नम्बर 227 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा में 3 बीघा 3 बिस्वा यानि हाल खसरा नम्बर 601, 606, 608, 610, 611, 612, 628/1152 की रकबा 0.79 हैक्टेयर भूमि पर अतिकमण कर अनाधिकृत कब्जा कर लिया है को बैदखल किया जा कर वास्तविक कब्जा वादीगण को दिलवाया जावे तथा उक्त अतिरिक्त वादीगण की खातेदारी की अन्य भूमियो पर भी अतिक्रमण कर रखा हो तो बैदखल किया जा कर वास्तविक कब्जा वादीगण को दिलवाया जावे तथा उक्त विवादित भूमि के बाबत उक्त विवादित लिखावट वादीगण के अधिकारो के लिए प्रभावहीन होने की घोषणा की जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द फरमाया जावें कि वे वादीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे और मौके व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत कायम रखें।

पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण का जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि प्रतिवादीगण ने भूमि खसरा नम्बर 227 को खरीद करना अंकित किया है। ना ही वादी का भूमि पर कब्जा रहा था ना ही प्रतिवादीगण ने कभी बिजली लगाने के लिए सहायता देने का प्रस्ताव वादी के सामने नही रखा यदि यह बात सत्य थी तो उक्त कथन वादी को अपने पूर्व के वाद संख्या 5/1980 में उल्लेख करना जरूरी था अब इस तरह का उल्लेख करना ऑफटर थॉट सोच से आती है अतः स्वीकार करने योग्य नहीं है प्रतिवादीगण कुए पर बिजली लगी हुई है, प्रतिवादीगण उक्त कृर्षि भूमि पर से अरसा कदीम से ही कृर्षि कार्य करते आ रहे हैं तथा हमेशा से ही प्रतिवादीगण के कब्जे में है तब पूर्व में वाद संख्या 54/80 व 5/80 पेश किये थे नया वाद पेश करने से पूर्व रिव्यू रेवेन्यू बोर्ड में पेन्डिगं है प्रतिवादीगण ने 1 बिघा दक्षिण दिशा में अतिकमण कर लिया अस्वीकार है। वादी ने स्वयं 1000/– रूपये लेकर उक्त लिखावट तैयार करवा कर गवाहों के सामने लिखवाकर दी है, लिखावट के बारे में पता चलने की बात वादी बताता है व रिकार्ड देखने से भी बिल्कुल साफ है मु0 5/80 के साथ प्रस्तुत धारा 212 आर0टी0एक्ट के प्रार्थना पत्र की बहस के वक्त ही प्रतिवादीगण ने यह लिखावट न्यायालय में प्रस्तुत कर दी थी। इस प्रकार वादी अपने द्वारा घडी हुई झूठी कहानी से किसी प्रकार का लाभ उठाने का अधिकारी नही है। प्रतिवादीगण ने उक्त कृर्षि भूमि पर कोई

सहायक कलक्टर (कास्ट ट्रेक)
चौमूं, जयपुर

...क्रमण नही किया है वादी ने सयुक्त भूमि को प्रतिवादीगण को 1000/–रूपये लेकर दी ...था उसी समय से प्रतिवादीगण के कब्जे में उक्त कृषि भूमि है अतः उनको स्थाई ...षेधाज्ञा से पाबन्द करना न्यायोचित नही है। वादीगण प्रतिवादीगण को परेशान करने की ...नियत से वाद पत्र पेश किया है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज करने योग्य है वादीगण का दावा ...मय खर्चे खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में न्यायालय द्वारा निम्न तनकीया कायम की गई।

1. आया आराजी खसरा नम्बर 227 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम समरपुरा वादी को दिनांक 07.08.65 को आवंटित होकर कब्जा वादी को दिया गया है। – जिम्मे वादी–
2. आया खसरा नम्बर 227 ग्राम समरपुरा पर प्रतिवादीगण का कदीमी से कब्जा रहा है। जिसको प्रतिवादीगण ने वादी से अलाटमेन्ट बहक वादी के वाद इस आराजी को 1000/–रूपये में खरिदी है – जिम्मे प्रतिवादीगण–
3. आया मंसर सुद्धी 11 सम्वत् 2029 में प्रतिवादीगण द्वारा अपने हक में विवादग्रसत भूमि के ट्रासंफर बाबत की गई लिखावट वर्णीत वाद पत्र के मद नम्बर 3 व 4 वादी के हस्ताक्षर युक्त खाली कागज पर तैयार की हुई फर्जी लिखावट है जिसको वादी वाद पत्र के मद नम्बर 7 में वर्णित कारणों से अपने अधिकारो के लिए प्रभावहीन घोषत करवाने का अधिकारी है। – जिम्मे वादी–
4. आया प्रतिवादीगण वादी के खातेदारी की आराजी गत खसरा नम्बर 227 वाके ग्राम समरपुरा में पूर्व की ओर की 2 बीघा 3 बिस्वा पर आषाढ सम्वत 2036 में राजस्व वाद संख्या 5/1980 न्यायालय एसडीओ आमेर मुकाम जयपुर के समक्ष विचाराधिन रहने के दौरान दक्षिण की ओर 1 बीघा भूमि पर सीवों के सारे सारे अतिक्रमण कर अनाधिकृत कब्जा किया है। वादी प्रतिवादीगण को बेदखल कराकर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। – जिम्मे वादी–
5. आया वादी प्रतिवादीगण से अतिक्रमण के दिन से कब्जा पाने तक अतिक्रमण की हुई भूमि की लगान का 15 गुना राशि बतौर पैलन्टी प्रतिवादीगण से पाने का अधिकारी है। – जिम्मे वादी–
6. आया वाद बेदखली कब्जा प्राप्त करके आराजी खसरा नम्बर 227 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा वाके समरपुरा के विषय में वाद पत्र की दारदसी मद ड. में चाही गई स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादी पाने के अधिकारी है। – जिम्मे वादी–
7. आया पैरा नम्बर 3 व 4 में वर्णित तथ्य आफर थॉट के उक्त ये पली अब नही ली जा सकती है। – जिम्मे प्रतिवादीगण–
8. अनुतोष :– अन्य दादरसी

वादी ने अपने वाद के समर्थन में बयान गवाह भैरूराम पुत्र नन्दाराम का प्रस्तुत कर प्रदर्श 1 लगायत 17 प्रस्तुत किये गये। जो दस्तावेज प्रदर्श 1 अलाटमेन्ट आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपी, प्रदर्श 2 पटै की प्रमाणित प्रतिलिपी, प्रदर्श 3 निर्णय 05.10.77 मु0नं0 556/76 की प्रमाणित प्रतिलिपी, प्रदर्श 4 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर मुकाम जयपुर का निर्णय मु0 न0 5/80 दिनांक 23.02.81 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 5 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर मुकाम जयपुर का निर्णय मु0 न0 5/80 दिनांक 23.02.81 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 6 न्यायालय उप जिलाधीश आमेर मु0 जयपुर 5/80 दिनांक 23.02.81 की प्रमाणित प्रतिलिपी, प्रदर्श 7 राजस्व मडण्ल अजमेर का निर्णय दिनांक 13.10.81, प्रदर्श 8 नामान्तकरण संख्या 92 की प्रमाणित प्रतिलिपी, प्रदर्श 9 खसरा गिरदावरी सम्वत 2026–30, प्रदर्श 10 खसरा गिरदावरी सम्वत 2036–38, प्रदर्श 11 जमाबन्दी सम्वत 2034–37, प्रदर्श 12 जमाबन्दी सम्वत् 2038–41,

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूं जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

प्रदर्श 13 लगान की रसीद, प्रदर्श 14 लगान की रसीद, प्रदर्श 15 लगान की रसीद, प्रदर्श 16 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श 17 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर मु0 जयपुर, की प्रमाणित प्रतिलिपी दिनांक 28.11.8, प्रदर्श 18 फर्द मौका रिपोर्ट गिरदावर हल्का चौमूं दिनांक 04.12.81, प्रदर्श 19 राजीनामा प्रतिवादी संख्या 3 बोदू दिनांक 08.09.1993, प्रदर्श 21 पर्चा खातोनी, प्रदर्श 22 नामान्तकरण 146, पेश किये। वादीगण की ओर से अन्य गवाह राधेश्याम, बिरदीचन्द, डुगाराम के कलम बन्द बयान पेश किये।

प्रतिवादीगण की ओर से बयान गवाह मांगू पुत्र कैशाराम जाट का प्रस्तुत कर प्रदर्श । 1 लगायत । 34 प्रस्तुत किये गये। जो दस्तावेज प्रदर्श । 1 लिखावट, प्रदर्श । 2 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर निर्णय दिनांक 05.10.77, प्रदर्श । 3 नकल पत्थरगढी की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श । 4 नकल पत्थरगढी की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श । 5 पटवारी रिपार्ट दिनांक 11.03.81 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श । 6 प्रर्थाना पत्र तहसीलदार, प्रदर्श । 7 रिपार्ट पटवारी दिनांक 05.10.81 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श । 8–9 मौका रिपोर्ट सरपंच एवं पटवारी, प्रदर्श । 10 खसरा गिरदावरी सम्वत 2033 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 11 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श 12 खसरा गिरदावरी, प्रदर्श 13, 14, 15 खसरा गिरदावरी, पेश किये। प्रतिवादीगण की ओर से अन्य गवाह चौथमल पुत्र गोविन्दराम, धन्नजी पुत्र चन्दालाल माली, गुल्ला पुत्र गोवरधन, के कलम बन्द बयान पेश किये।

अधिवक्ता वादी ने मौखिक एवं लिखित पेश कर निवेदन किया है कि अपने दावे के तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया है कि वाद पत्र में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 227 रका 7 बीघा 19 बिस्वा भैरूराम वादी को 07.08.1965 को भू–आवटन सलाहकार समिति द्वारा आलोट की गई थी जिसका वास्तविक कब्जा नियमानुसार वादी को समलादिया था सन् 1978 में वादी भैरूराम की गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तकरण खोला गया था। आवंटन के समय से वादी ही काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर्ता चला आ रहा है। एवं लगान सरकारी अदा करता चला आ रहा है। वादी के द्वारा भूमि बैचान नही की गई ना ही कोई कब्जा सम्भलाया प्रतिवादीगण ने वादी को धोखा देकरके कुए में आधे खर्च पर बिजली की मोटर लगाने के लिए खाली कागज पर हस्ताक्षर करवा लिये जिस खाली कागज पर फर्जी लिखावट के आधार पर को भूमि बैचान की लिखा गया है। प्रतिवादीगण ने वादी की भूमि पर 3 बिघा 3 बिस्वा की भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया है जिससे प्रतिवादीगण को वादीगण वाद पत्र के आधार पर बेदखल करवाने के अधिकारी है एवं उक्त लिखावट को भी प्रभावहीन घोषित करवाने के अधिकारी है। वादीगण को प्रतिवादीगण के द्वारा लड के बल पर कब्जा अतिक्रमण किया जिससे प्रतिवादीगण को बैदखल किया जाकर वादीगण को कब्जा सम्भलाया जावे, वादीगण की ओर से वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेज प्रदर्श 1 ता 22 पेश किये एवं लिखीत एवं मौखिक साक्ष्य भी गवाह पीडबलु 1 राधेश्याम एवं गवाह बिरदीचन्द पीडब्लू 2 एवं पीडब्लू 3 दूर्गालाल शर्मा के बयान करवाये गये। साथ ही अधिवक्ता वादी ने आर आर टी 2018(2) पैज 1508 मोहम्मद अली बनाम शांतिलाल वगै0, व आर आर टी 2024(2) पैज 955 मोदीबाई बनाम रविप्रकाश शर्मा में भी यह सिद्धान्त प्रतिवादीत किया है कि अतिक्रमि का खातेदार की भूमि पर अतिक्रमण अवैध होता है का प्रतिपादित किये हैं प्रतिवादी

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूं, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

...ा 2 गुल्ला पुत्र कुशला का दौराने वाद स्वर्गवास हो गया था जिसका कायम मुकाम का ... पत्र पेश नही किया गया था एवं वादी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 रूल 4 (4) व धारा 151 जा0दी0 का पेश कर निवेदन किया है कि प्रतिवादी संख्या 2 गुल्ला के विरूद्ध दिनांक 26.10.83 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित फरमा दिये गये। दिनांक 26.10.83 के पश्चात् गुल्ला की ओर से जवाब दावा दिये जाने के पश्चात् किसी प्रकार का प्रतिवाद प्रस्तुत नही किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 के विधिक प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता से छुट दिया जाना आवश्यक है। जो प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमूं द्वारा खारिज किया गया था जिसकी अपिल राजस्व मण्डल अजमेर में करने पर अपील संख्या 7853/2008 उनवानी राधेश्याम बनाम मांगू में निर्णय दिनांक 24.10.2018 में निगरानी स्वीकार कर आदेश किया गया कि प्रतिवादी संख्या 2 के वारिसान को प्रतिस्थापित करने की छुट प्रदान की जा चुकी है। जिससे प्रतिवादी संख्या 2 के वारिसान को उक्त वाद में प्रतिस्थापित करने की आवश्यक नही है। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा उक्त वाद में राजीनामा पेश किया जाकर के अपना अतिक्रमण हटा लिया था जो प्रदर्श 19 पेश है। वादीगण आराजी के खातेदार काश्तकार है। एवं आवंटन के समय से वादी भूमि पर काबिज रहा है। विवादित भूमि सम्पूर्ण ही तहसीलदार चौमूॅं के रिसीवर में चली आ रही है। जिसका कब्जा भी वादीगण को तहसीलदार चौमूॅं से दिलवाया जावे।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने मौखिक बहस कर निवेदन किया है कि प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा के कथनो के दोहराते हुए कथन किया है कि वादीगण ने भूमि का बैचान किया था तथा बैचान कि गई भूमि का गलत एवं झुठे तथ्यो के आधार पर वाद पेश किया है इसलिये वादी का वाद खारिज किया जावें।

अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया वादी एवं प्रतिवादीगण के द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य, सबुत, दस्तावेजात आदि एवं पत्रावली का बगोर अवलोकन किया गया।

प्रकरण में न्यायालय द्वारा निम्न तनकीया कायम की गई।

1. आया आराजी खसरा नम्बर 227 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम समरपुरा वादी को दिनांक 07.08.65 को आवंटित होकर कब्जा वादी को दिया गया है। – जिम्मे वादी– उक्त तनकीयात वादी के द्वारा अपने साक्ष एवं दस्तावेजो से पूर्णतः साबित किये जाने से वादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।
2. आया खसरा नम्बर 227 ग्राम समरपुरा पर प्रतिवादीगण का कदीमी से कब्जा रहा है। जिसको प्रतिवादीगण ने वादी से अलाटमेन्ट बहक वादी के वाद इस आराजी को 1000/–रूपये में खरिदी है – जिम्मे प्रतिवादीगण– उक्त तनकीयात प्रतिवादीगण के विरूद्ध एवं वादी के हक में साबित होने से वादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।
3. आया मंसर सुद्धी 11 सम्वत् 2029 में प्रतिवादीगण द्वारा अपने हक में विवादग्रसत भूमि के ट्रासंफर बाबत की गई लिखावट वर्णीत वाद पत्र के मद नम्बर 3 व 4 वादी के हस्ताक्षर युक्त खाली कागज पर तैयार की हुई फर्जी लिखावट है जिसको वादी वाद पत्र के मद नम्बर 7 में वर्णित कारणों से अपने अधिकारो के लिए

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
चौमूॅं, जयपुर

प्रभावहीन घोषत करवाने का अधिकारी है। – जिम्मे वादी– उक्त तनकीयात वादी के द्वारा अपने साक्ष एवं दस्तावेजो से पूर्णतः साबित किये जाने से वादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

4. आया प्रतिवादीगण वादी के खातेदारी की आराजी गत खसरा नम्बर 227 वाके ग्राम समरपुरा में पूर्व की ओर की 2 बीघा 3 बिस्वा पर आषाढ सम्वत 2036 में राजस्व वाद संख्या 5/1980 न्यायालय एसडीओ आमेर मुकाम जयपुर के समक्ष विचाराधिन रहने के दौरान दक्षिण की ओर 1 बीघा भूमि पर सीवों के सारे सारे अतिक्रमण कर अनाधिकृत कब्जा किया है। वादी प्रतिवादीगण को बेदखल कराकर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। – जिम्मे वादी– उक्त तनकीयात वादी के द्वारा अपने साक्ष एवं दस्तावेजो से पूर्णतः साबित किये जाने से वादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

5. आया वादी प्रतिवादीगण से अतिक्रमण के दिन से कब्जा पाने तक अतिक्रमण की हुई भूमि की लगान का 15 गुना राशि बतौर पैलन्टी प्रतिवादीगण से पाने का अधिकारी है। – जिम्मे वादी– उक्त तनकीयात वादी के द्वारा अपने साक्ष एवं दस्तावेजो से पूर्णतः साबित किये जाने से वादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

6. आया वाद बेदखली कब्जा प्राप्त करके आराजी खसरा नम्बर 227 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा वाके समरपुरा के विषय में वाद पत्र की दारदसी मद ड. में चाही गई स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादी पाने के अधिकारी है। – जिम्मे वादी– उक्त तनकीयात वादी के द्वारा अपने साक्ष एवं दस्तावेजो से पूर्णतः साबित किये जाने से वादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

7. आया पैरा नम्बर 3 व 4 में वर्णित तथ्य आफर थॉट के उक्त ये पली अब नही ली जा सकती है। – जिम्मे प्रतिवादीगण– उक्त तनकीयात प्रतिवादीगण के विरूद्ध एवं वादी के हक में साबित होने से वादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

8. अनुतोष :– अन्य दादरसी – वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद में चाहा गया अनुतोष तनकीयात संख्या 1 ता 7 वादी के पक्ष में साबित होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है।

साथ ही वाद पत्र में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 227 रका 7 बीघा 19 बिस्वा भैरूराम वादी को 07.08.1965 को भू–आवटन सलाहकार समिति द्वारा आलोट की गई थी जिसका वास्तविक कब्जा नियमानुसार वादी को समलादिया था सन् 1978 में वादी भैरूराम की गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तकरण खोला गया था। आवंटन के समय से वादी ही काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर्ता चला आ रहा है। एवं लगान सरकारी अदा करता चला आ रहा है। वादी के द्वारा भूमि बैचान नही की गई ना ही कोई कब्जा सम्भलाया प्रतिवादीगण ने वादी को धोखा देकरके कुए में आधे खर्च पर बिजली की मोटर लगाने के लिए खाली कागज पर हस्ताक्षर करवा लिये जिस खाली कागज पर फर्जी लिखावट के आधार पर को भूमि बैचान की लिखा गया है। प्रतिवादीगण ने वादी की भूमि पर 3 बिघा 3 बिस्वा की भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया है जिससे प्रतिवादीगण को वादीगण वाद पत्र के आधार पर बैदखल करवाने के अधिकारी है एवं उक्त लिखावट को भी प्रभावहीन घोषित करवाने के अधिकारी है। वादीगण को प्रतिवादीगण के द्वारा लठ के बल पर कब्जा अतिक्रमण किया जिससे प्रतिवादीगण को बैदखल किया जाकर वादीगण को कब्जा सम्भलाया जाकर, वादीगण की ओर से वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेज प्रदर्श 1 ता 22 पेश किये एवं लिखीत एवं मौखिक साक्ष्य भी गवाह पीडबलु 1 राधेश्याम एवं गवाह बिरदीचन्द पीडब्लू 2 एवं पीडब्लू 3 दूर्गालाल शर्मा के बयान करवाये गये। साथ ही अधिवक्ता वादी ने आर आर टी 2018(2) पैज 1508 मोहम्मद अली बनाम शांतिलाल वगै0, व आर आर टी 2024(2) पैज 955 मोदीबाई बनाम

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
चौमूं, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

प्रकाश शर्मा में भी यह सिद्धान्त प्रतिवादीत किया है कि अतिक्रमि का खातेदार की भूमि पर क्रमण अवैध होता है उक्त न्यायिक दृष्टान्त पूर्ण रूप से चरपा होते है। एवं प्रतिवादी संख्या 2 गुल्ला पुत्र कुशला का दौराने वाद स्वर्गवास हो गया था जिसका कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया था एवं वादी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 रूल 4 (4) व धारा 151 जा0दी0 का पेश कर निवेदन किया है कि प्रतिवादी संख्या 2 गुल्ला के विरूद्ध दिनांक 26.10.83 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित फरमा दिये गये। दिनांक 26.10.83 के पश्चात् गुल्ला की ओर से जवाब दावा दिये जाने के पश्चात् किसी प्रकार का प्रतिवाद प्रस्तुत नही किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 के विधिक प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता से छुट दिया जाना आवश्यक है। जो प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमूँ द्वारा खारिज किया गया था जिसकी अपिल राजस्व मण्डल अजमेर में करने पर अपील संख्या 7853/2008 उनवानी राधेश्याम बनाम मांगू में निर्णय दिनांक 24.10.2018 में निगरानी स्वीकार कर आदेश किया गया कि प्रतिवादी संख्या 2 के वारिसान को प्रतिस्थापित करने की छुट प्रदान की जा चुकी है। जिससे प्रतिवादी संख्या 2 के वारिसान को उक्त वाद में प्रतिस्थापित करने की आवश्यता नही है। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा उक्त वाद में राजीनामा पेश किया जाकर के अपना अतिक्रमण हटा लिया था जो प्रदर्श 19 पेश है। वादीगण आराजी के खातेदार काश्तकार है। एवं आवंटन के समय वादी भूमि पर काबिज काश्त रहा था। लेकिन पक्षकारान के मध्य विवाद होने पर प्रतिवादीगण ने धोखे से वादी के गलत हस्ताक्षरित लिखावट के आधार पर अतिक्रमण किया जाना साबित होता है। जिससे वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 227 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 601 रकबा 1.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 606 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 608 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 609 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 610 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 611 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 612 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 628/1152 रकबा 0.02 हैक्टेयर, कुल किता 08 का कुल रकबा 2.01 हैक्टेयर भूमि ग्राम समरपुरा, तहसील चौमूँ जिला जयपुर, का खातेदार वादी की खातेदारी भूमि में अनाधिकृत रूप प्रतिवादीगण के द्वारा किये गये कब्जे/अतिक्रमण से बैदखल किया जाकर वास्तविक कब्जा वादी को सम्भलाया जावे तदोपरान्त प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि वादी की खातेदारी भूमि व वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करे एवं उपयोग–उपभोग में बाधा कारित नही करे तथा वादी के वाद में मद नम्बर 3 व 4 व 7 में उल्लेखित लिखावट को प्रभावहीन माना जाकर शुन्य घोषित किया जाता है साथ ही विवादित भूमि में तहसीलदार चौमूँ के द्वारा रिसीवर नियुक्त होने पर प्रतिवर्ष छोडी गई निलामी राशि जो राजकोश में जमा है उक्त राशि नियमानुसार दैय हो तो वादीगण को दिलवाई जावे। तदनुसार निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार चौमूँ को लिखा जावे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

नोट :– उक्त अन्तिम डिक्री की पालना, हाल सर्वे रिसर्वे के दौरान बने खसरा नम्बर एवं जारी मिलान क्षेत्रफल आदि के अनुसार नियमानुसार किया जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुल न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रै0/मुख्यालय)चौमूँ

Scanned with OKEN Scanner